<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032025-261664 CG-DL-E-17032025-261664

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1189]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 2025/फाल्गुन 22, 1946

No. 1189]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 13, 2025/PHALGUNA 22, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2025

का.आ. 1202 (अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर,2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

- (क) श्री जिग्मेत टक्पा, अध्यक्ष;
- (ख) इजीनियर अब्दुल वाहिद चान्चिक कारगिल, सदस्य; और
 - अब्दुल वाहिद फराओ, द्रास रामबीरपुर (द्रास), कारगिल, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख-194202

टक्पा हाउस, स्कारा लेह, संघ राज्यक्षेत्र लहाख-194101

(ग) वन्यजीव वार्डन, लेह, वन्यजीव विभाग, - सदस्य-सचिव।

प्रथम तल, लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति भवन, स्कारा, योकामा लेह, समीप के बीआर वायुपत्तन, पिन-194101

1747 GI/2025 (1)

- 2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- 3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- 4. प्राधिकरण, पैरा 6 के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा।
- 5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और साधारणतया सर्वसम्मत होंगे :

परंतु यह कि विनिश्चय बहुमत द्वारा लेने की दशा में इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

6. केंद्रीय सरकार, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(क) डा. संदीपन मुखर्जी, - अध्यक्ष; केंद्र अध्यक्ष जीबी पंत, राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, रुत्पा हाउस, निकट इस्लामिया पब्लिक स्कूल, डिहार रोड़, लेह-लद्दाख -194101

(ख) डा. ओम प्रकाश चौरसिया, - सदस्य; निदेशक, उच्च ऊंचाई अनुसंधान रक्षा संस्थान, डीआरडीओ, लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र -194101

(ग) डा. मोहम्मद हुसैन, - सदस्य; समन्वयक जंतु शास्त्र/डीन विज्ञान, लद्दाख विश्वविद्यालय जंतुशास्त्र विभाग लेह परिसर, लद्दाख विश्वविद्यालय-194101

(घ) श्री गुलाब नबी ज़रगर, - सदस्य; ज़रगर हाउस अपर कारजू, लेह-लद्दाख, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख पिन-194101

(ड.) डा. सुब्रत शर्मा, - सदस्य; डीन अनुसंधान अध्ययन, लद्दाख विश्वविद्यालय, टारु परिसर, टारु लेह, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र -194101

(च) प्रभागीय वन अधिकारी, - सदस्य-सचिव । फोर्ट रोड़, लेह-वन प्रभाग, लद्दाख

- 7. सिमिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे।
- 8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- 9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन सकती है, तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

- 10. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, --
- (i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य, -
 - (क) यह घोषणा करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन के साथ सहयुक्त रहे हैं और परियोजना प्रस्तावक भी रहे हैं ; और
 - (ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे, जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा मुल्यांकित किया जाना है : और
- (ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है, तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे।
- 11. संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख का प्रशासन, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण अधिसूचित करेगा और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।
- 12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फा.सं. आईए3-13/3/2024–आईए.III] रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2025

S.O. 1202(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union territory Level Environment Impact Assessment Authority for the Union territory of Ladakh (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

(a) Shri Jigmet Takpa,

- Chairman;

Takpa House, Skara, Leh,

Union territory Ladakh-194101

(b) Er. Abdul Wahid Chanchik Kargil,

- Member:

Abdul Majed Furao, Drass,

Rambirpur (Drass), Kargil,

Union territory Ladakh - 194202

(c) Wildlife Warden, Leh, Wildlife Department,

- Member- Secretary.

1st Floor, Ladakh Pollution Control Committee

Building, Skara Yokma Leh,

near KBR Airport, Pin- 194101

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

- 3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union territory Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6.
- 5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the Union territory of Ladakh, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union territory Level Expert Appraisal Committee for Union territory of Ladakh (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely: -

(a) Dr. Sandipan Mukherjee,

- Chairman:

Centre Head G.B. Pant, National Institute of Himalayan Environment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Government of India Union Territory Ladakh, Rutpa House near Islamia Public School, DIHAR Road, Leh-Ladakh-194101

(b) Dr. Om Prakash Chaurasia.

- Member:

Director.

Defence Institute of High Altitude Research,

DRDO, Leh - Ladakh Union territory- 194101

(c) Dr. Mohd. Hussain,

- Member;

Coordinator Zoology/ Dean Science,

University of Ladakh,

Department of Zoology Leh Campus,

University of Ladakh, Pin-194101

(d) Shri Gulam Nabi Zargar,

- Member;

Zargar House Upper Karzoo, Leh- Ladakh,

Union territory Ladakh, Pin-194101

(e) Dr. Subrat Sharma,

- Member;

Dean Research Studies,

University of Ladakh,

Taru Campus, Taru, Leh,

Union territory of Ladakh, Pin- 194101

(f) Divisional Forest Officer,

- Member- Secretary.

Fort Road, Leh -Forest Division, Ladakh

- 7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.
- 9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
- 10. In order to avoid any conflict of interest,-
- (i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Member of the Committee shall,—(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

- (b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and
- (ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.
- 11. The administration of Union territory of Ladakh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.
- 12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Union Territory administration.

[F.No. IA3-13/3/2024-IA.III] RAJAT AGARWAL, Jt .Secy.